न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 803/2024

अनवान : –

1– जीतराम पुत्र खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– वादी

बनाम

1– श्रवण कुमार पुत्र खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

2– आशी देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– महावीर पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– शेरसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– मदनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– मोजिन्द्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– विमला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– नारायणी देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

9– निर्मला देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

10– आदराम पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

11– गिरदावरी पुत्री तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

12– भूपसिंह पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13– मुखराम पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

14– राजेन्द्र पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

15– रोहिताश उर्फ रोहताश पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

16– विद्या पुत्री तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

17– सतवीर उर्फ श्योपत पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

18– मांगीलाल पुत्र ज्यानो देवी जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

19– सुमन देवी पुत्री ज्यानो देवी जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

20– विद्या पत्नी चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

21– दलीप कुमार पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

22– जयसिंह पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

23– सुशीला पुत्री चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

24– मनोहरी देवी पुत्री खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

25– रेशमा पुत्री खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

26– हरदेई पुत्री खीराज जाति जाट [illegible] तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

27– सुरस्ती उर्फ सरबती पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां [illegible] नोहर ।

28– इन्द्रा पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

29— केसर देवी पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

30— बनवारी पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

31— धनराज पुत्र सरबती पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

32— साहबराम पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

33— अमरसिंह पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

34— सुरेन्द्रपाल पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

35— मोहिनी देवी पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

36— सावित्री पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

37— कौशल्या पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

38— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **असल प्रतिवादीगण**

39— सुरेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **तरतीवी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 05/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि व रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 10 ता 17 जो कि वादी की मृतक बहिन तीजा के वारीस है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि मृतका जानो पुत्री तीजा वं प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 के नाम [illegible] भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है [illegible] 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5790 है0 भूमि मृतका सरदारी पत्नी खिराज के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक गोपीराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 37 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 38 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 10 ता 17 जो कि वादी की मृतक बहिन तीजा के वारीस है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि मृतका जानो पुत्री तीजा व प्रतिवादी सं[illegible] 17 के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या [illegible] ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरे 23 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि मृतका सरदारी पत्नी खिराज के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक गोपीराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 10 ता 17 जो कि वादी की मृतक बहिन तीजा के वारीस है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि मृतका जानो पुत्री तीजा व प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि मृतका सरदारी पत्नी खिराज के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक गोपीराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 ब0 हि0 ब0 काबिज है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा खिराज के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि में मृतका जानो पुत्री तीजा व मृतक चानण पुत्र तीजा का व प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि में मृतका सरदारी पत्नी खिराज का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक गोपीराम पुत्र खीराज का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीपी प्रतिवादी संख्या 39 का का पूर्व में दर्ज भूमि में साकिन ढ़ाणी लालखां की बजाये फेफाना का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 803 / 2024

अनवान : –

1– जीतराम पुत्र खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– **वादी**

बनाम

1– श्रवण कुमार पुत्र खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

2– आशी देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– महावीर पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– शेरसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– मदनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– मोजिन्द्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– विमला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– नारायणी देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

9– निर्मला देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

10– आदराम पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

11– गिरदावरी पुत्री तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

12– भूपसिंह पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13– मुखराम पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

14– राजेन्द्र पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

15– रोहिताश उर्फ रोहताश पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

16– विद्या पुत्री तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

17– सतवीर उर्फ श्योपत पुत्र तीजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

18– मांगीलाल पुत्र ज्यानो देवी जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

19– सुमन देवी पुत्री ज्यानो देवी जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

20– विद्या पत्नी चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

21– दलीप कुमार पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

22– जयसिंह पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

23– सुशीला पुत्री चानणराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

24– मनोहरी देवी पुत्री खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

25– रेशमा पुत्री खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

26– हरदेई पुत्री खीराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

27– सुरस्ती उर्फ सरबती पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

28– इन्द्रा पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

29– केसर देवी पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

30– बनवारी पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

31– धनराज पुत्र सरबती पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

32– साहबराम पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

33– अमरसिंह पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

34– सुरेन्द्रपाल पुत्र सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

35– मोहिनी देवी पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

36– सावित्री पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

37– कौशल्या पुत्री सरबती जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

38– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— असल प्रतिवादीगण

39– सुरेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 803 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 11/46 के खसरा नं. 151 की 10.484 है0 भूमि में मृतका जानो पुत्री तीजा व मृतक चानण पुत्र तीजा का व प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 20/17 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि में मृतका सरदारी पत्नी खिराज का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक गोपीराम पुत्र खीराज का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व तरतीपी प्रतिवादी संख्या 39 का का पूर्व में दर्ज भूमि में साकिन ढ़ाणी लालखां की बजाये फेफाना का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested